राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वन एवं वन्य जीव विभाग,
ए-ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110002.

तारांकित/ अतारांकित प्रसन संख्या : 98
दिनांक :– 20.03.2018
प्रशनकर्ता का नाम :– श्री महेंद्र गोयल

क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

क्र. संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि रिठाला विधान सभा क्षेत्र के विजय विहार व अवंतिका के मध्य से जा रही सड़क के बीचों बीच कुछ सूखे हुए वृक्ष प्रतिदिन जाम का कारण बनते है;	दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 9 के अनुसार दिल्ली में प्रत्येक पेड़ को काटने/ हटाने हेतु उस क्षेत्र के वृक्ष अधिकारी/ उप-वन संरक्षक से अनुमति लेना आवश्यक है। वन विभाग किसी पेड़ को गिराने या छंटाई का कार्य नहीं करता है केवल अनुमति प्रदान करता है जिसके लिए भू-स्वामित्व निकायों द्वारा "फॉर्म –बी" आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जाना चाहिए। इसके बाद वृक्ष अधिकारी/ उप-वन संरक्षक निरिक्षण/ जांच के बाद अनुमति प्रदान करता है। ऐसी कोई application विजय विहार व अवंतिका से, भू- स्वामित्व निकायों (PWD, MCD etc) से उप-वन संरक्षक (पश्चिमी) के कार्यालय मे प्राप्त नहीं हुई है जिसमे अनुमति देना लंबित हो।
(ख)	यदि हाँ, तो जनता को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए इन वृक्षों को लेकर सरकार की क्या योजना है; और	दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा (8) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, अगर खतरनाक पेड़ को शीघ्र नहीं कटवाया/ गिराया जाये और ऐसे पेड़ से जीवन या संपत्ति और यातायात के लिए गंभीर खतरा हो तो भू-स्वामित्व निकाये इस तरह के पेड़ को गिराने हेतु तत्काल कारवाही कर सकती है जिसमे 24 घंटे के भीतर इस तथ्य से सम्बंधित जानकारी उस क्षेत्र के सम्बंधित वन अधिकारी को दी जानी अनिवार्य है।
(ग)	इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?	भू-स्वामित्व द्वारा ऐसे सूखे पेड़ जो जाम का कारण बनते है, को स्वमं कटवाया/ हटाया जा सकता है और उसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

15/3/18
Dy. Conservator of Forests (HQ)
Department of Forests & Wild Life
Govt. of N.C.T. of Delhi
A-Block, IInd Floor, Vikas Bhawan
I.P. Estate, New Delhi-110002